



2026:AHC-LKO:22275-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-सी संख्या - 3162 वर्ष 2026

मेसर्स ए०डी०एम०एस० एंटरप्राइजेज द्वारा प्रोपराइटर

अभिषेक दुबे

....

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

लखनऊ नगर निगम द्वारा नगर आयुक्त, लखनऊ

एवं 2 अन्य

....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: अपराजिता बंसल, अनिलेश तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: शैलेन्द्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या-1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने प्रभारी अधिकारी, पार्किंग, नगर निगम, लखनऊ द्वारा याचिकाकर्ता को जारी दिनांक 25.03.2026 की कारण बताओ सूचना को चुनौती दी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, जिसके द्वारा जनवरी, 2026 में उसे आवंटित पार्किंग स्थल पर दिनांक 24.03.2026 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण में पाई गई कुछ कमियों के संबंध में कारण बताने के लिए कहा गया तथा रुपये 10,00,000/- का दंड प्रस्तावित किया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कमियों के संबंध में प्रत्युत्तर दिया जाएगा, परंतु जहाँ तक रुपये 10,00,000/- के दंड के प्रस्ताव का संबंध है, वह निविदा की शर्तों एवं इस विषय से संबंधित विधि के परे है।

4. उन्होंने यह प्रस्तुत करने हेतु हमारा ध्यान निविदा की शर्तों के प्रस्तर संख्या 11 की ओर आकर्षित किया है कि उसके अधीन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अनुसार रुपये 10,00,000/- का दंड प्रस्तावित किया जा सके।

5. इस पर सामना कराए जाने पर, नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान ने हमारा ध्यान उस निविदा की शर्तों के प्रस्तर संख्या 5 (9) की ओर आकर्षित किया तथा यह प्रस्तुत किया कि उक्त शर्तों के अधीन रुपये 10,00,000/- तक का दंड अनुमेय है। निविदा की शर्तों का प्रस्तर संख्या 11 निम्नवत् है:-

"11-पेनाल्टी:-

1. निविदादाता द्वारा बकाया पार्किंग की धनराशि निर्धारित समयावधि तक जमा न करने की स्थिति में निविदादाता को 1 प्रतिशत मासिक दर से ब्याज पृथक् रूप से देय होगा।

2. निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर स्थाई /अस्थायी अतिक्रमण नहीं किया जायेगा तथा न ही किसी अन्य को सबलेट किया जायेगा। ऐसा करने पर प्रति बार रु०50000.00/- की पेनाल्टी लगाने के साथ-साथ निविदा निरस्त करने की कार्यवाही भी जायेगी।

3. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर पार्किंग की स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए निविदादाता को भविष्य के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

4. नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों के अंकन की पर्ची को ही प्रयोग में लाया जाना अनिवार्य होगा। बिना पर्ची के शुल्क लेने पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रु०2000.00 प्रति वाहन जुर्माना एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली किये जाने पर फर्म/निविदादाता को काली सूची में जाल दिया जायेगा।"

6. हमें इसमें कोई ऐसा उपबंध नहीं मिलता है जिसके आधार पर प्रश्नगत कारण बताओ सूचना में प्रस्तावित ऐसा दंड प्रस्तावित किया जा सकता था।

7. निविदा की शर्तों का प्रस्तर संख्या 5 (9) निम्नवत् है:-

"9. निविदादाता तथा उनके द्वारा नियुक्त कर्मिकों द्वारा पार्किंग क्षेत्र में अभद्र व्यवहार किए जाने, पार्किंग कर्मियों द्वारा परिचय पत्र (ID card) न लगाये जाने तथा नगर निगम लखनऊ द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क की दरों से अधिक की वसूली की शिकायत पाए जाने अथवा अन्य किसी भी अनियमितता की पुष्टि होने पर निविदादाता से निविदा धनराशि दस लाख रु० तक की स्वीकृत पार्किंग स्थल से रु०-25000/- तथा निविदा धनराशि से दस लाख रु० से अधिक की स्वीकृत पार्किंग स्थल से रु०50000/- अथवा निविदा का दस प्रतिशत जो भी अधिक हो का जुर्माना वसूल किया जायेगा। नियम एवं शर्तों का पुनः उल्लंघन होने पर पार्किंग निविदा को निरस्त कर जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।"

8. उपर्युक्त शर्त का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर भी हमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं मिलता है जिसके अधीन रुपये 10,00,000/- का दंड प्रस्तावित किया जा सके, भले ही यह मान लिया जाए कि उसमें उल्लिखित पूर्वापेक्षाएँ इस वाद में विद्यमान हैं।

9. अधिकतम, रुपये 50,000/- अथवा बोली राशि का 10% तक ही दंड प्रस्तावित किया जा सकता था, बशर्ते कि उसमें उल्लिखित पूर्वापेक्षाएँ संतुष्ट हों। इस वाद में बोली राशि रुपये 24,00,000/- थी, अतः खंड 5 (9) का द्वितीय भाग, उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन, लागू होगा।

10. प्रत्यक्षतः रुपये 10,00,000/- के दंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव न तो निविदा की शर्तों में और न ही अन्यथा किसी प्रावधान द्वारा समर्थित है और ऐसा कोई प्रावधान हमारे समक्ष इंगित भी नहीं किया गया है। अतः हम निम्नवत् आदेश देते हैं:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(क) याचिकाकर्ता कारण बताओ सूचना में इंगित कमियों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करे, जिस पर वाद में कोई अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व विचार किया जाएगा। तथापि, जहाँ तक प्रश्नगत कारण बताओ सूचना में रुपये 10,00,000/- के दंड के प्रस्ताव का संबंध है, वह स्थगन में रहेगा।

(ख) यदि नगर निगम कोई अन्य दंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव करता है, तो अधिनियम/निविदा की शर्तों/अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एक नवीन सूचना जारी की जा सकती है।

11. हम याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह का समय प्रदान करते हैं कि वह उपर्युक्त कारण बताओ सूचना के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करे।

12. उपर्युक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला) (न्यायमूर्ति राजन राय)

30 मार्च, 2026

सतीश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।